न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थी:–

सोनूसिंह पुत्र स्व0 आनन्दसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह रावणा राजपूत निवासी बाजवास परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री जगदीशसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :– 2024/55

निर्णय दिनांक :– 04.06.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि ग्राम धोलिया पटवार हल्का राबड़ियाद में खसरानम्बर 343 रकबा 4.3700 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके नए खाता नम्बर 112 हैक्टर तथा पुराना खाता नम्बर 109 है। राजस्व रेकर्ड में मेरे दादा का नाम गांव में बोलचाल की भाषा में शिवकरण कहते थे, वो ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया जबकि दादाजी का नाम सभी रेकर्ड जैसे मृत्यु प्रमाण–पत्र, राशन–कार्ड, परिचय पत्र में शिवकरण एवम् शिवनारायणसिंह पुत्र भैरूसिंह दर्ज है। पटवारी को राजस्व रेकर्ड में स्व शिवकरण की जगह हमारा नाम दर्ज करवाने का कहा तो पटवारी हल्का ने यह कहते हुए मना कर दिया कि शिवकरण के नाम के दस्तावेज मूल पेश किये जावे जब हमने दस्तावेज पेश किए एवम् समर्थन में नोटेरी सुदा शपथ–पत्र दिया तो पटवारी हल्का ने कहा कि रेकर्ड में संशोधन के बिना में म्यूटेशन नहीं दर्ज कर सकने से प्रार्थी द्वारा संशोधन करवाने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सरकार को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा जवाब भिजवाया गया, जिसके अनुसार ग्राम धोलिया पटवार हल्का राबड़ियाद में खसरा नम्बर 343 रकबा 4.3700 हैक्ट. भूमि स्थित है, जिसके नए खाता नम्बर 112 हैक्टर तथा पुराना खाता नम्बर 109 है। अतः जवाब सरकार आने से जवाब बन्द कर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का समर्थन करते हुए खसरा नम्बर 343 जिसके

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

नए खाता नम्बर 112 है, मे शिवकरण पुत्र भैरू रावणा राजपूत की जगह शिवनारायण उर्फ शिव नारायणसिंह पुत्र भैरू उर्फ भैरूसिंह रावणा राजपूत राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 343 की पेश की है जिसमें प्रार्थी सहखतेदार है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वकील प्रार्थी ने मृत्यु प्रमाण–पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पहचान–पत्र, मेडिकल कार्ड की प्रति, पेंशन भूगतान प्रति, गैस कनेक्शन डायरी की प्रति, आदी पेश किए जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम शिवनारायण पुत्र भैरूसिंह दर्ज है। साथ ही ग्राम पंचायत बाजवास का पत्र जिसके अनुसार सोनूसिंह जिनके दादा जी का नाम सभी सरकारी रेकॉर्ड में शिवनारायण ही दर्ज है, इनको गांव की बोलचाल की भाषा में शिवकरण कहते थे जिससे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकी शिवनारायण और शिवकरण दोनों एक ही व्यक्ति थे साथ ही निवेदन किया गया कि प्रार्थी के दादा का नाम सभी सरकारी रेकॉर्ड के अनुसार शिवनारायण किया जावे।

इस प्रकार ग्राम पंचायत के पत्र व जवाब सरकार व मुताबिक दस्तावेजात शिवकरण पुत्र भैरू रावणा राजपूत की जगह शिवनारायण उर्फ शिव नारायणसिंह पुत्र भैरू उर्फ भैरूसिंह रावणा राजपूत रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 343 जिसके नए खाता नम्बर 112 है, में शिवकरण पुत्र भैरू रावणा राजपूत की जगह शिवनारायण उर्फ शिव नारायणसिंह पुत्र भैरू उर्फ भैरूसिंह रावणा राजपूत से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारामद हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर